न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौ० प्रार्थना पत्र सं. 57/2021

तोगाराम बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर उपस्थित।	

वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी किसान एन्टरप्राईजेज के नाम से विभिन्न प्रकार के ऑयल आदि के विकय खरीद फरोख्त का कारोबार करता है। जिसका एकमात्र प्रोपराईटर प्रार्थी तोगाराम पुत्र भीयाराम है। जिसके लिए उसने भारत सरकार द्वारा आवश्यक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा हैं, प्रार्थी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर 08 ALKPT2597E1ZL है।

प्रार्थी ने जीओसी पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड प्लोट नम्बर 5 सर्वे नम्बर 207/5, ग्राम उमरकुई, सिलवासा, गुजरात से गोल्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल दिनांक 21.09.2021 के द्वारा खरीद किया। जिसके टैक्स इनवॉइस में खरीद का सम्पूर्ण विवरण और ट्रांसपोर्टर का नाम दर्ज है। भारत सरकार के विभाग द्वारा अनुमत कथित गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का एचएसएन नम्बर 27101980 हैं, जो उक्त टैक्स इनवॉइस में दर्ज है। इस प्रकार से प्रार्थी उपरोक्त गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का खरीदसुदा स्वामी है।

CD प्राप्त की [illegible] PS [illegible] 10-12-21

प्रार्थी द्वारा खरीद किये गये उपरोक्त माल को विधि अनुसार पूजा रोड लाईन्स के मार्फत जरिये टैक्स इनवॉइस एवं ई–वे बिल के द्वारा प्रार्थी के संस्थान पर भिजवाया गया था, जिसको पुलिस थाना खींवसर के भारसाधक अधिकारियो ने जिला रसद अधिकारी नागौर को सूचना प्रेषित कर सीज कर लिया। जिसको पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी ने सीज किया है।

पेट्रोलियम एक्ट की धारा 11 के अनुसार यह उत्पाद किसी भी प्रकार की निषिद्ध श्रेणी में नहीं आता है और न ही इस पर पेटोलियम अधिनियम प्रभावी ही है, क्योंकि प्रकरण में ट्रान्सफारर्मर ऑयल जब्त किया गया है, जिसके Flash Point (PMCC),Min. 174 है तथा Flash Point 93 डिग्री से नीचे होने पर ही पेटोलियम अधिनियम लागू होता है।

प्रार्थी के द्वारा खरीद किये गये उपरोक्त माल की पृथक से कोई रसीद सीज करने के बाबत प्रार्थी को उपलब्ध नही करवाई गई और उक्त माल पुलिस थाना खींवसर में जिला रसद अधिकारी द्वारा सीज किया हुआ पडा है। जिसकी पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी नागौर को कोई आवश्यकता नही है।

प्रार्थी ने उपरोक्त माल वैध तरीके से कर चुकाकर खरीद किया हैं और ऐसे गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल को वह अपने द्वारा किये जाने वाले ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग आदि में उपयोग उपभोग करता है और प्रार्थी ही उक्त माल को बोनाफाईड परचेजर हैं, अन्य किसी का उक्त खरीदसुदा गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई हक हिस्सा अधिकार नही है।

उक्त माल पुलिस थाना खींवसर एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अवैध रूप से विधि विरूद्ध तरीके से सीज किया गया हैं, जो किसी भी प्रकार से निषिद्ध पेट्रोल अथवा डीजल पदार्थ की श्रेणी में नही आता है और प्रार्थी के द्वारा खरीद किये गये उपरोक्त माल पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी नागौर की अभिरक्षा में प्रतिकूलतः प्रभावित होने की पूरी पूरी सम्भावना है।

प्रार्थी कथित माल का [illegible] पुलिस थाना खींवसर और जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत [illegible] गये मामले की ट्रायल में समय लगने की [illegible] को जमानत पर प्राप्त करना चाहता है और इस संबंध में अ[illegible]त की जाने वाली प्रत्येक शर्त और आदेश [illegible] कथन करते हुए पुलिस थाना [illegible]58/2021 में पुलिस थाना खींवसर और जिला रसद अधिकारी द्वा[illegible] सीज किये गये ट्रांसफार्मर ऑयल जो टैक्स इनवॉइस जीओसी/21–22/2258 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा खरीद किया गया था, को प्रार्थी को जमानतनामा और सुपूर्दगीनामा पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	फौ० प्रा० पत्र सं. 57/2021 तोगाराम v/s राज० सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21 (लगातार)	अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी के कब्जे से 75 लौहे के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रम, जिनमें 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ तथा टेंकर वाहन संख्या डीएन 09 एन 9676 में 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ कुल 26000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया एवं अन्य खाली ड्रम इत्यादि पाये गये। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से होना पाये जाने पर मौके पर ही जब्त किया जाकर पुलिस थाना खींवसर को सुपुर्दगी में दिया है। उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ तथा वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 115/2021 सरकार बनाम राजेशसिंह वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील(सिविल) नम्बर 905/2002 ओमाराम बनाम राज0 राज्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2008 के बिन्दु संख्या–14 में अभिलिखित किया है कि–14.**In case Shambhu Dayal Agarwala v. State of West Bengal & Anr. (1990 (3) SCC 549) this Court held that whenever any essential commodity is seized, pending confiscation under Section 6A, the Collector has no power to order release of the commodity in favour of the owner. Having regard to the scheme of the Act, the object and purpose of the statute and the mischief it seeks to guard, this Court held that the word "release" in Section 6E is used in the limited sense of release for sale etc., so that the samebecomes available to the consumer public. It was further held:** **"No unqualified and unrestricted power has been conferred on the Collector of releasing the commodity in the sense of returning it to the owner or person from whom it was seized even before the proceeding for confiscation stood completed and before the termination of the prosecution in acquittal of the offender. Such a view would render clause(b) of Section 7(1) totally nugatory and would completely defeat the purpose and object of the Act. The view that the Act itself contemplates a situation which would render Section 7(1)(b) otiose where the essential commodity is disposed of by the Collector under Section 6A(2) is misconceived. Section 6A does not empower the Collector to give an option to pay in lieu of confiscation of essential commodity a fine not exceeding the market value of the commodity on the date of seizure, as in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance seized along with the essential commodity. Only a limited power of sale of the commodity in the manner prescribed by Section 6A the**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रा० पत्र सं. 57/2021

तारीख हुक्म	तोगाराम vs राज० सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21 (लगातार)	**essential commodity has to be exercised in public interest for maintaining the supplies and for securing the equitable distribution of the essential commodity."** उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए की कार्यवाही के विचाराधीन रहते जब्तशुदा आवश्यक वस्तु को किसी भी सूरत में नहीं लौटाया जा सकता हे। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जॉच हेतु एफ.एस.एल. में भिजवाया हुआ है, जहां से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ ट्रान्फार्मर ऑयल है अथवा नहीं एवं Flash Point कितना है, इसलिए भी उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ वजह सबूत को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। रिकार्ड, पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी से कुल 26000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से पाये जाने पर जब्त किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील(सिविल) नम्बर 905/2002 ओमाराम बनाम राज0 राज्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2008 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए की कार्यवाही के विचाराधीन रहते जब्तशुदा आवश्यक वस्तु को उस आवश्यक वस्तु के मालिक को लौटाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ तथा वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 115/2021 सरकार बनाम राजेशसिंह वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ना उचित नहीं है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जॉच हेतु एफ.एस.एल. में भिजवाया हुआ है, जहां से प्रमाणिक जॉच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ ट्रान्फार्मर ऑयल है अथवा नहीं एवं इसका Flash Point कितना है। इस प्रकार उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं यह पत्रावली, रसद मामला संख्या 115/2021 की पत्रावली के साथ नत्थी हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर, नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2022.01.17 16:13:54 IST Reason: SelfAttested	